न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2025/276**
दायरा तिथि : 09.06.2025
आदेश तिथि : 12-05-26

प्रार्थी :–

लालाराम पुत्र बाबराराम जाति देवासी निवासी कोठार तहसील बाली
ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–
1. श्री ओमप्रकाश दवे......................प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता
2. नायब तहसीलदार .... पेरोकार सरकार की ओर से

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 12-05-26

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 566/1 रकबा 0.10 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 566 रकबा 0.27 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख नाना को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/3305 दिनांक 26.11.2025 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदित रास्ता ही आवागमन का इकलौता स्त्रोत है।
2. यह है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है, इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	566	0.27	बारानी सोयम	106X09=954 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,51,310/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 566/1 रकबा 0.10 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही नियमें में अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाये जाने बाबत प्राविधित किया गया है

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार...........02

Scanned with OKEN Scanner

तथा तहसीलदार बाली ने भी अपनी रिपोर्ट में भी 9 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया है। एक किसान को अपनी कृषि जोत तक पहुंचने तथा कृषि संयंत्र, ट्रेक्टर, ट्रॉली व अन्य साधन लाने ले जाने के लिये 4 मीटर चौडा रास्ता पर्याप्त होता है। जिससे आवेदक को 4 मीटर चौडा रास्ता ही उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 566/1 रकबा 0.10 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 566 रकबा 0.27 हैक्टर में से **424 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 151310/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
566	0.27	106X04=424 वर्गमीटर	16	6784X2=13568	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 13568/– (अक्षरे तेरह हजार पांच सौ अडसठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/ 817 – 821
दिनांक : 20.9.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक लालाराम पुत्र बाबराराम जाति देवासी निवासी कोठार तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

नकल नक्शा किश्तवार
ग्राम - कोठार
तह - बाली
जिला - पाली
राष्ट्र

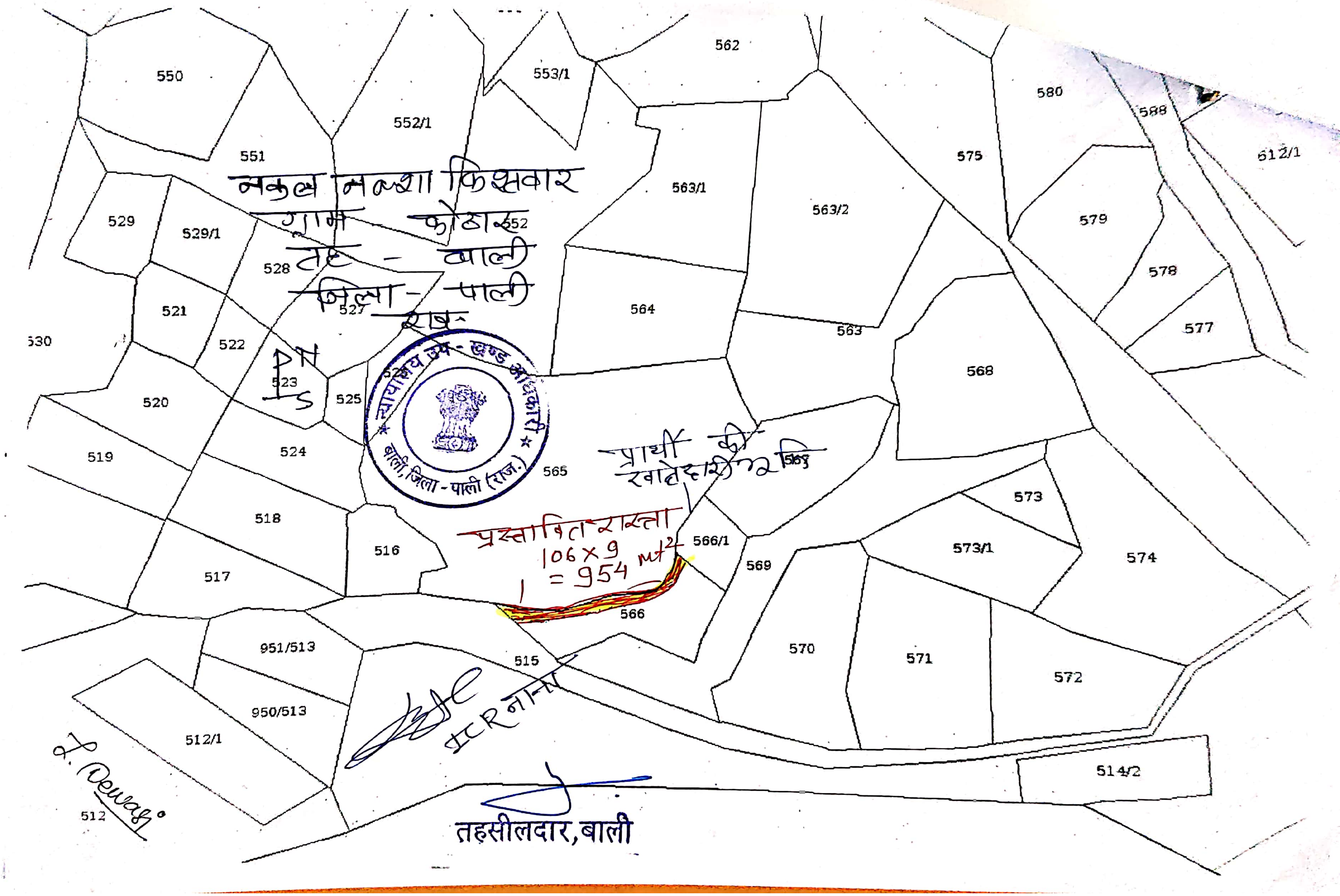
562
550
553/1
552/1
580
588
612/1
551
575
563/1
563/2
552
579
529
529/1
528
578
564
521
527
563
577
530
522
568
523
525
520
565
524
519
573
518
566/1
573/1
516
569
574
517
566
951/513
515
570
571
572
950/513
512/1
514/2
512

प्रार्थी की खातेदारी 72 बि

प्रस्तावित रास्ता
106 × 9
= 954 mt²

PN
S

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

ICR नाना

L. Dewasi

तहसीलदार, बाली